संख्या–2–ई.एम./2001–का–4–2009

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 03 जुलाई, 2009

विषयः–कर्मचारी संगठनों की मांगों के संबंध में ।

महोदय,

मेरे पूर्वाधिकारियों के हस्ताक्षर से निर्गत समसंख्यक शासनादेश दिनांक 8.12.2004, दिनांक 22.6.2006, दिनांक 8.11.2007 एवं दिनांक 8.4.2008 द्वारा आपको यह निर्देश दिये गये थे कि प्रत्येक माह विभागीय प्रमुख सचिवों/ सचिवों के स्तर पर मान्यता प्राप्त सेवा संगठनों की मांगों पर बैठकें आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय । इसी प्रकार मान्यता प्राप्त महासंघों/ परिसंघों की मांगों पर कार्मिक विभाग के द्वारा बैठकें आहूत कर समस्याओं का निराकरण कराया जाय ।

2. सेवा संगठनों द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि विभागों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन संघों की मांगों पर विचार–विमर्श हेतु बैठकें आहूत नहीं की जा रही हैं, जिससे उनके द्वारा मेरे स्तर पर बैठकें आहूत किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है । उक्त स्थिति उचित नहीं है । अतः आपको पुनः निम्नवत् निर्देशित किया जाता हैः–

(1) विभिन्न मान्यता प्राप्त सेवा संघों की मांगों पर प्रत्येक माह विभागीय प्रमुख सचिवों/सचिवों के स्तर पर बैठकें आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय, ताकि उक्त संघों द्वारा मेरे स्तर पर बैठकें आहूत करने का अनुरोध न किया जाय ।

(2) मान्यता प्राप्त महासंघों / परिसंघों की मांगों पर कार्मिक विभाग द्वारा बैठकें आहूत कराकर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय ।

3. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव